भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

*तारांकित प्रश्न सं.306

उत्तर देने की तारीखः 24.03.2021

निजी क्षेत्र में आरक्षण

*306. **श्री नीरज डांगी:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए रोजगार सुरक्षित करने हेतु किसी तरह की आरक्षण नीति लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए निजी क्षेत्रों में रोजगार की समानता हेतु सरकार द्वार क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में उद्योगपतियों से परामर्श किया है, यदि हां, तो ऐसे परामर्श के क्या परिणाम निकले?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(श्री थावरचन्द गेहलोत)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

श्री नीरज डांगी, माननीय संसद सदस्य द्वारा निजी क्षेत्र में आरक्षण के बारे में राज्य सभा में दिनांक 24.03.2021 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *306 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): वर्तमान में, सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह महसूस किया गया था कि बेहतरीन रास्ता स्वयं उद्योग द्वारा स्वैच्छिक कार्रवाई ही है।

निजी क्षेत्र में आरक्षण के संदर्भ में, उद्योग के प्रतिनिधि सरकार तथा समुचित एजेंसियों के साथ, सभी स्तरों पर, वंचित वर्ग, विशेषत: अनुसूचित जाति(एससी)/अनुसूचित जनजाति(एसटी) हेतु वर्तमान भर्ती नीति का विस्तार और संवर्धन तथा कौशल विकास एवं प्रशिक्षण को भी प्रोत्साहित करने के लिए भागीदारी में कार्य करने के इच्छुक हैं।

तदनुसार, शीर्ष उद्योग एसोसिएशनों ने समावेशन हासिल करने के लिए, शिक्षा, नियोज्यता, उद्यमिता के संबंध में अपने सदस्य कंपनियों के लिए एक स्वैच्छिक आचार संहिता (वीसीसी) बनाई है। उद्योग एसोसिएशन द्वारा किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, छात्रवृत्तियां, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम तथा कोचिंग आदि शामिल हैं।

उद्योग एसोसिएशनों से गांवों को गोद लेने तथा एससी/एसटी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने, शोधकर्त्ताओं के लिए मेरिट छात्रवृत्तियां, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कैरियर मार्ग-दर्शन कार्यक्रम तथा कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन स्कीम के लिए सहायता एवं योगदान देना तथा नियोजन की सभावनाओं की तलाश करने के संदर्भ में सकारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत और अधिक सक्रिय उपाय करने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा, उद्योग एसोसिएशनों से एससी/एसटी समुदायों से कम से कम 25 प्रतिशत प्रशिक्षुओं को भर्ती करने का भी अनुरोध किया गया था।

*****